बिस्मिल्लाह बनाम वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबंधक, रिको

/एलआर/नं0/2021/64

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2021/64 अपी अधि0– एनएस राजावत रेस्पो0 : अजीत लोढा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2022	पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत क्षैत्राधिकार पर आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति आक्षेपित आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय व संधारण योग्य नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय को रिको की भूमियो के बाबत सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार नही होने से दिनांक 09.04.2021 को एकतरफा तौर पर पारित स्थगन आदेश वेकेट, निरस्त किये जाने व आगे नही बढाए जाने बाबत दिनांकित 03.08.2021 पर सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण मे प्राधिकृत अधिकारी, रिको के विधिवत आदेश दिनांक 06.01.2004 के विरूद्ध न्यायालय मे प्रस्तुत अपील श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे नही है। अपीलान्ट को रिको डिसपोजल रूल्स के तहत भूमि आंवटित की गई थी, जो विधिवत तौर पर आवंटन निरस्त होने से भूमि पुनः रिको मे वेस्ट हो गई। अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष विधि विपरित तौर पर रिको भूमि के संबंध मे अपील भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानो के तहत प्रस्तुत की गई है, जबकी मौजुदा प्रकरण मे भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। चूंकि अपीलान्ट को तत्समय किया गया आवंटन भू–राजस्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानो के तहत नही किया जाकर अपितु रिको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1979 के तहत किया गया था, विवादग्रस्त आराजीयात रिको के स्वामित्व की भूमि है, जिसे लेने हेतु मौजुदा अपीलान्ट द्वारा आवेदन किया गया था, परन्तु अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियम की पूर्ण पालना नही करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। न्यायालय के समक्ष लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो के तहत अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु इस प्रकरण मे लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के कानूनी प्रावधान लागू नही होते है, क्योंकि यह भुमि पूर्णतया रिको के स्वामित्व की भूमि है जिसे रिको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1979 के तहत आवंटन किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति आक्षेपित आदेश इस न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय एवं संधारण योग्य नही होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें तथा स्थगन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है। उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.08.2021 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 75 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर) के आदेश के विरूद्ध ही प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष श्रवणाधिकार है। चूंकि यह अपील प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीय डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको लिमिटेड द्वारा पारित आदेश कमाक (4–S–26–27) 99/3320/3322 दिनांक 06.01.2004 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner